

**न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-पाली) राज0**

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 39/2020
GCMS NO. : 2020/00140

-:: वादीगण :-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल
2. रखाराम पुत्र मिश्रीलाल
3. बालाराम पुत्र मिश्रीलाल
4. हापूराम पुत्र मिश्रीलाल
5. नौरतन पुत्र हंसराज
6. नीरज पुत्र हंसराज
7. पूनम पुत्री हंसराज
8. लक्ष्मी पुत्री हंसराज
9. कौशल्या पत्नी हंसराज
10. भीयाराम पुत्र मिश्रीलाल
11. रामपाल पुत्र मिश्रीलाल
12. पुसाराम पुत्र मिश्रीलाल
13. सोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल
14. नैनाराम पुत्र मुल्तानराम
15. मदनलाल पुत्र भूरा
16. सरूप पुत्र भूरा
17. जीवणी पत्नी भूरा

जातियान- सतनामी (साद),
निवासी- लितरिया, तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज0।

1. मोहन पुत्र भूरा
2. भंवरलाल पुत्र कानाराम
3. तेजाराम पुत्र कानाराम
4. गणपत पुत्र कानाराम
5. सुगनाराम पुत्र कानाराम
6. चैनाराम पुत्र कानाराम
7. सायरी पत्नी कानाराम
8. कमला पुत्री कानाराम
9. जगदीश पुत्र सनूदास
10. हीरालाल पुत्र सनूदास
11. रतनलाल पुत्र सनूदास
जातियान- सतनामी साद, निवासी-
लितरिया, तहसील- जैतारण, जिला-
पाली, राज0।
12. तहसीलदार जैतारण, तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजथान
काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजु: 14.07.2020

उपस्थित:- 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 16/08/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 199 रकबा 00-11 बीघा किस्म बारानी अब्बल व खसरा नम्बर 200 रकबा 01-18 बीघा किस्म बारानी अब्बल, व खसरा नम्बर 296 रकबा 02-10 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकल व ट्रेस नक्शा की नकल दावा के साथ पेश की जा रही है एवं मौके का नजरी नक्शे भी पेश किया जा रहा है। नजरी नक्शे में वादीगण के हिस्से की जमीन लाल रंग से दर्शाया हुई है व प्रतिवादी संख्या एक से ग्यारह की पीले रंग से दर्शायी हुई है एवं आसमान रंग से रास्ता दर्शाया हुआ है। जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावे एवं जिस पर वादीगण अपने 1/2 हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांति काश्त कार्य करता आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण का परिवार बड़ा होने से बरसात के समय हर



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

धर्ष माठ को लेकर आपस टन्टा फसाद होता है व वादीगण अपने हिस्से की भूमि को उपजाउ नहीं बना सकते हैं। इसलिये मुतनामा जमीन के वादीगण का 1/2 वां हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 का 1/2 हिस्सा यानि अपने अपने हिस्से माफिक काश्त करते आ रहे है एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 11 का मौके पर अलग अलग कब्जा काश्त है एवं वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि तरमीम नहीं होने से आपस में विवाद रहता है। इसलिये मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् से किया जाना जरूरी है। वादीगण अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा कराये बिना बैंक से ऋण नहीं ले सकते है और न अपने हिस्से की जमीन का सुधार करवा सकते है। इसलिये बंटवाड़ करके वादीगण के हिस्से की जमीन का तरमीम किया जाकर खाता अलग किया जावे और लगान भी अलग किया जावे ताकि मौके पर आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सके। इसलिये दावा बंटवाड़ा प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त खातेदारी जमीन का बंटवाड़ा करवा लेगे लेकिन आज तक बंटवाड़ा नहीं कराने से यह वाद पेश किया जा रहा है मौके पर हर रोज माठ को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। यदि मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया तो पक्षकारान आपस में झगड़ा करेगे जिससे वादीगण के अपने हिस्से की जमीन का सुधार भी नहीं करवा सकेगे तथा जिससे वादीगण को नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगे। विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी इसलिये मुतनामा भूमि का बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर होने से व दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। इससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। हंजा पत्नी मिश्रीलाल का देहान्त होने से उनके पक्षकार नहीं बनाया गया है। इनके कायम मुकाम का नाम पहले से खाते में दर्ज है। वादी का बिनाय दावा दिनांक 25.05.2020 को प्रतिवादीगण ने मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा कराने से साफ इन्कार करने पर बमुकाम लितरिया में पैदा हुआ है, अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को बार बार आवाजे दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 9 से 11 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 से 11 को अनेकानेक, पर्याप्त एवं अन्तिम से अन्तिम अवसर देने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया जाता है। वकील वादीगण की ओर से वादी संख्या 02 का साक्ष्य शपथपत्र PW-1 पेश किया जो सामिल मिसल है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने माफिक राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार बाई मिट्स बाउण्डस् के बंटवाड़ा के समर्थन में सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला- पाली राज0 सम्वत् 2075-2078 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरुबे राजस्व रेकॉर्ड स्वयं अपने हिस्से के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली



खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 199 रकबा 00-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 200 रकबा 01-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, व खसरा नम्बर 296 रकबा 02-10 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 09 से 11 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 199 रकबा 00-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 200 रकबा 01-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, व खसरा नम्बर 296 रकबा 02-10 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि जो राजस्व रेकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/83 दिनांक 14.02.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5026 दिनांक 01/08/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकूलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

--: आदेश :-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 199 रकबा 00-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 200 रकबा 01-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, व खसरा नम्बर 296 रकबा 02-10 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वलदियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	मदनलाल पुत्र भूरा 1/6 सरूप पुत्र भूरा 1/6 जीवणी पत्नी भूरा 1/6 नैनाराम पुत्र मुल्तानराम 1/4 पुसाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 बालाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 भीयाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल 1/40 रम्पाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 रामपाल पुत्र मिश्रीलाल	199	0.0365	बा.अ.	0.03
		200	0.1538	बा.अ.	0.10



पदेन सहायक कमिश्नर,
 जैतारण, जिला-पाली

1/40 सोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल 1/40 हंजा पत्नी मिश्रीलाल 1/40 हापूराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 हंसराज पुत्र मिश्रीलाल 1/40 जाति साद सा. देह खातेदार	296	0.2023	बा.अ.	0.12
	03	0.3926	-	0.25
2. अमराव देवी पत्नी रामनिवास हिस्सा 1/2 जगदीश पुत्र सनूदास 1/12 हीरालाल पुत्र सनूदास 1/12 रतनलाल पुत्र सनूदास 1/12 कमला पुत्री कानाराम 1/28 गणपत पुत्र कानाराम 1/28 चेनाराम पुत्र कानाराम 1/28 तेजाराम पुत्र कानाराम 1/28 तेजाराम पुत्र कानाराम 1/28 भंवरलाल पुत्र कानाराम 1/28 सुगनाराम पुत्र कानाराम 1/28 सायरी पत्नी कानाराम 1/28 जाति साद सा.देह खातेदार	199/1	0.0365	बा.अ.	0.02
	200/1	0.1538	बा.अ.	0.09
	296/1	0.2024	बा.अ.	0.13
	03	0.3927	-	0.24
3. अमराव देवी पत्नी रामनिवास 1/4 कमला पुत्री कानाराम 1/56 गणपत पुत्र कानाराम 1/56 चेनाराम पुत्र कानाराम 1/56 तेजाराम पुत्र कानाराम 1/56 भंवरलाल पुत्र कानाराम 1/56 सुगनाराम पुत्र कानाराम 1/56 सायरी पत्नी कानाराम 1/56 जगदीश पुत्र सनूदास 1/24 हीरालाल पुत्र सनूदास 1/24 रतनलाल पुत्र सनूदास 1/24 सरूप पुत्र भूरा 1/12 जीवणी पत्नी भूरा 1/12 मदनलाल पुत्र भूरा 1/12 नेनाराम पुत्र मुल्तानराम 1/8 पुसाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 बालाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 भीयाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल 1/80 रखाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 रामपाल पुत्र मिश्रीलाल 1/80 सोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल 1/80 हंजा पत्नी मिश्रीलाल 1/80 हापूराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 हंसराज पुत्र मिश्रीलाल 1/80 जाति साद सा. देह खातेदार	199/2	0.0160	बा.अ.	0.01

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक सहायक एच पदेन
उपसहायक अधिकारी, जैतारण
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 16/08/2022 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक सहायक एच पदेन
उपसहायक अधिकारी, जैतारण
जैतारण, जिला-पाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास

:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
:- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-:: वादीगण :-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल
2. रखाराम पुत्र मिश्रीलाल
3. बालाराम पुत्र मिश्रीलाल
4. हापूराम पुत्र मिश्रीलाल
5. नौरतन पुत्र हंसराज
6. नीरज पुत्र हंसराज
7. पूनम पुत्री हंसराज
8. लक्ष्मी पुत्री हंसराज
9. कौशल्या पत्नी हंसराज
10. भीयाराम पुत्र मिश्रीलाल
11. रामपाल पुत्र मिश्रीलाल
12. पुसाराम पुत्र मिश्रीलाल
13. सोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल
14. नैनाराम पुत्र मुल्तानराम
15. मदनलाल पुत्र भूरा
16. सरूप पुत्र भूरा
17. जीवणी पत्नी भूरा
जातियान- सतनामी (साद),
निवासी- लितरिया, तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज०।

1. मोहन पुत्र भूरा
2. भंवरलाल पुत्र कानाराम
3. तेजाराम पुत्र कानाराम
4. गणपत पुत्र कानाराम
5. युगनाराम पुत्र कानाराम
6. चैनाराम पुत्र कानाराम
7. सायरी पत्नी कानाराम
8. कमला पुत्री कानाराम
9. जगदीश पुत्र सनूदास
10. हीरालाल पुत्र सनूदास
11. रतनलाल पुत्र सनूदास
जातियान- सतनामी साद, निवासी-
लितरिया, तहसील- जैतारण, जिला-
पाली, राज०।
12. तहसीलदार जैतारण, तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई

मु०न० :रा०वा० स०: 39/2020

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू-..... व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज० में खसरा नम्बर 199 रकबा 00-11 बीघा किस्म बारानी अब्बल व खसरा नम्बर 200 रकबा 01-18 बीघा किस्म बारानी अब्बल, व खसरा नम्बर 296 रकबा 02-10 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	मदनलाल पुत्र भूरा 1/6 सरूप पुत्र भूरा 1/6 जीवणी पत्नी भूरा 1/6 नैनाराम पुत्र मुल्तानराम 1/4 पुसाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 बालाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 भीयाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल 1/40 रखाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 रामपाल पुत्र मिश्रीलाल 1/40	199	0.0365	बा.अ.	0.03
		200	0.1538	बा.अ.	0.10

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल 1/40 हंजा पत्नी मिश्रीलाल 1/40 हापूराम पुत्र मिश्रीलाल 1/40 हंसराज पुत्र मिश्रीलाल 1/40 जाति साद सा. देह खातेदार	296	0.2023	बा.अ.	0.12
2. अमराव देवी पत्नी रामनिवास हिस्सा 1/2 जगदीश पुत्र सनूदास 1/12 हीरालाल पुत्र सनूदास 1/12 रतनलाल पुत्र सनुदास 1/12 कमला पुत्री कानाराम 1/28 गणपत पुत्र कानाराम 1/28 चेनाराम पुत्र कानाराम 1/28 तेजाराम पुत्र कानाराम 1/28 तेजाराम पुत्र कानाराम 1/28 भंवरलाल पुत्र कानाराम 1/28 सुगनाराम पुत्र कानाराम 1/28 सायरी पत्नी कानाराम 1/28 जाति साद सा.देह खातेदार	03	0.3926	-	0.25
	199/1	0.0365	बा.अ.	0.02
	200/1	0.1538	बा.अ.	0.09
	296/1	0.2024	बा.अ.	0.13
3. अमराव देवी पत्नी रामनिवास 1/4 कमला पुत्री कानाराम 1/56 गणपत पुत्र कानाराम 1/56 चेनाराम पुत्र कानाराम 1/56 तेजाराम पुत्र कानाराम 1/56 भंवरलाल पुत्र कानाराम 1/56 सुगनाराम पुत्र कानाराम 1/56 सायरी पत्नी कानाराम 1/56 जगदीश पुत्र सनुदास 1/24 हीरालाल पुत्र सनुदास 1/24 रतनलाल पुत्र सनुदास 1/24 सरूप पुत्र भूरा 1/12 जीवणी पत्नी भूरा 1/12 मदनलाल पुत्र भूरा 1/12 नेनाराम पुत्र मुल्तानराम 1/8 पुसाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 बालाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 भीयाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल 1/80 रखाराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 रामपाल पुत्र मिश्रीलाल 1/80 सोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल 1/80 हंजा पत्नी मिश्रीलाल 1/80 हापूराम पुत्र मिश्रीलाल 1/80 हंसराज पुत्र मिश्रीलाल 1/80 जाति साद सा. देह खातेदार	03	0.3927	-	0.24
	199/2	0.0160	बा.अ.	0.01

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/08/2022 को जारी किया गया ।

मोहर



सहायक डी.डी.ओ. एवं पदेन
उपस्थान अधिकारी नरेंद्र जैतारण
जैतारण, जिला पाली

मुखई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	1		मुत्फरिक		
मिजान:-	08	00	मिजान:-	02	00

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।